



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ ~~.....~~ श्री शरण श्रीवास्तव

624-आवास विकास कार्यालयी सत्यवानपुरी करण योजना

खस्ती (प्र.प.) नि० प्रा० 2017/66

दिनांक...18-8-2017

पत्रांक 289

भवन/ ~~.....~~ संख्या E.W.S.-624 योजना सत्यवानपुरी करण नगर 02^{वा} निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 31-07-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 103/847 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 18-8-2017 से 17-8-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 38.70 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 69.888 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
18/8/17

पृ० सं० 289
प्रतिलिपि :-

/उपरोक्त

तददिनांक 18-8-2017

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, भूखण्ड उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
18/8/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/ ~~श्री~~ मालती देवी व/श्री राजेंद्र कुमार पाण्डेय
E.W.S. - 220 सत्तवानपुरी
वर्ग

पत्रांक 270

नि० प्रा० 2017/63

दिनांक 28-7-2017

भवन/ ~~भूखण्ड संख्या~~ संख्या 220 योजना सत्तवानपुरी नगर वर्ग

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 28-7-2017 से 27-7-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ हेतु 38.70 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 42.755 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 270

/उपरोक्त

तददिनांक 28-7-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 34 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय वाराणसी उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराणसी को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी सीता
भवन सं० 113 सत्यवानपुरी
बल्लरी

पत्रांक 81

नि० प्रा० 2016/20

दिनांक 9-3-2016

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्त संख्या L.I.C.-113 योजना सत्यवानपुरी नगर बल्लरी
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 03.03.2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 09/27
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 9-3-2016 से 8-3-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मम्दी हेतु 4.5.39 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 56.75 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 81

/उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
तददिनांक 9-3-2016

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 35 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोखपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय सत्यवानपुरी गोखपुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद बल्लरी को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
9/3/16



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी सरोज देवी w/o श्री निरमल
ग्राम - मुन्डेरा पोस्ट - लखनापार
जिला - बस्ती


पत्रांक 129

नि० प्रा० 2016/113

दिनांक 21/4/2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसस संख्या 11/3/4 योजना कटरा नगर बस्ती
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 06.4.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 629
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 21/4/2017 से 20/4/2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो
सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 209.78 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये..
127.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-37
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
Rant


पृ० सं० 129

/उपरोक्त

तददिनांक

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 37 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय सुरजकुण्ड योजना उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोरखपुर
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक